क्रम-संख्या--726

रजि0 नं0 एल. डब्लू./एन. पी. 336

लाइसेन्स नं0 डब्लू0 पी0--41

लाइसेन्स टू पोस्ट एट कन्सेशनल रेट

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग--1, खण्ड (क)

(उत्तर प्रदेश अधिनियम)

लखनऊ, शुक्रवार, 14 अगस्त, 1992

श्रावण 23, 1914 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश सरकार

विधायी अनुभाग--1

संख्या 2649/सत्रह-वि0--1-1(क) 42-1989

लखनऊ, 14 अगस्त, 1992

अधिसूचना

विविध

"भारत का संविधान" के अनुच्छेद 201 के अधीन राष्ट्रपति महोदय ने उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित उत्तर प्रदेश विधि (हरियाणा से अन्तरित राज्य क्षेत्रों पर विस्तार) विधेयक, 1989 पर दिनांक 10 अगस्त, 1992 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 18 सन् 1992 के रूप में सर्वसाधारण की सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

उत्तर प्रदेश विधि (हरियाणा से अन्तरित राज्यक्षेत्रों पर विस्तार) अधिनियम, 1989

[उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 18 सन् 1992]

(जैसा उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित हुआ)

भारत गणराज्य के चालीसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है:--

हरियाणा और उत्तर प्रदेश (सीमा-परिवर्तन) अधिनियम, 1979 के द्वारा या अधीन हरियाणा से अन्तरित राज्यक्षेत्रों पर उत्तर प्रदेश में प्रवृत्त विधियों का विस्तार करने के लिए

अधिनियम

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1--(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश विधि (हरियाणा से अन्तरित राज्यक्षेत्रों पर विस्तार) अधिनियम, 1989 कहा जायगा।

(2) यह ऐसे दिनांक को प्रवृत्त होगा जिसे राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, इस निमित्त नियत करे।

परिभाषायें

2--इस अधिनियम में--

(क) "हरियाणा विधि" का तात्पर्य किसी हरियाणा अधिनियम, अध्यादेश, विनियम या परिनियत लिखतों के उस भाग से है जिसका सम्बन्ध संविधान की सातवीं अनुसूची में सूची दो और तीन में प्रगणित किसी विषय से है और इसके अन्तर्गत इस अधिनियम के प्रारम्भ होने के ठीक पूर्व अन्तरित राज्य क्षेत्रों में प्रवृत्त पंजाब का कोई अधिनियम, अध्यादेश, विनियम या परिनियत लिखत भी है;

(ख) "राज्य विधि" का तात्पर्य उत्तर प्रदेश के किसी अधिनियम, अध्यादेश विनियम या अन्य परिनियत लिखत के उस भाग से है जिसका सम्बन्ध संविधान की सातवीं अनुसूची में सूची दो और तीन में प्रगणित किसी विषय से है;

(ग) "अन्तरित राज्यक्षेत्र" का तात्पर्य हरियाणा और उत्तर प्रदेश (सीमा-परिवर्तन) अधिनियम, 1979 द्वारा हरियाणा राज्य से अन्तरित और उत्तर प्रदेश में परिवर्द्धित राज्य क्षेत्र से है।

राज्य विधियों को एकरूप करना

3-(1) अन्तरित राज्य क्षेत्रों में अनुसूची के द्वितीय स्तम्भ में विनिर्दिष्ट राज्य विधियों का विस्तार उसके तृतीय स्तम्भ में विनिर्दिष्ट उपान्तरों के अधीन रहते हुए, इस अधिनियम के प्रारम्भ के दिनांक से होगा और उन विधियों के अधीन सभी की गयी नियुक्तियों, दिये गये आदेशों या किये गये परिनियत लिखतों का विस्तार यथावश्यक परिवर्तन सहित जहां तक वे उक्त उपान्तरों से असंगत नहीं हैं, अन्तरित राज्यक्षेत्रों पर होगा, और ऐसे उपान्तरित रूप में वह सक्षम विधान मण्डल या अन्य सक्षम प्राधिकारी द्वारा निरसित या संशोधित किये जाने तक प्रवृत्त बना रहेगा।

(2) अन्य सभी राज्य विधियां जिनका विस्तार या प्रवृत्ति इस अधिनियम के प्रारम्भ के दिनांक के पूर्व उत्तर प्रदेश राज्य में है किन्तु जिनका विस्तार या प्रवृत्ति अन्तरित राज्यक्षेत्रों में नहीं है, ऐसे दिनांक से अन्तरित राज्यक्षेत्रों में, यथास्थिति, विस्तारित या प्रवृत्त होंगी और सक्षम विधान मण्डल या अन्य सक्षम प्राधिकारी द्वारा निरसित या संशोधित होने तक प्रवृत्त बनी रहेगी।

(3) सभी हरियाणा विधियां जिनकी प्रवृत्ति इस अधिनियम के प्रारम्भ के ठीक पूर्व सम्पूर्ण अन्तरित राज्य क्षेत्रों में या उसके किसी भाग में है, ऐसे दिनांक से, उन राज्यक्षेत्रों में अपने प्रवर्तन के सम्बन्ध में निरसित हो जायेंगी और उत्तर प्रदेश साधारण खण्ड अधिनियम, 1904 की धारा 6 और 24 के उपबन्ध उसी प्रकार लागू होंगे मानो उन विधियों का निरसन और पुनः अधिनियमन अन्तरित राज्यक्षेत्रों में उपधारा (1) और (2) के आधार पर तदनुरूप विधियों द्वारा किया गया हो।

(4) संदेहों के निवारण के लिये एतद्द्वारा यह घोषणा की जाती है कि--

(क) किसी राज्य विधि द्वारा यथा संशोधित ऐसा कोई केन्द्रीय अधिनियम, अध्यादेश, विनियम या अन्य परिनियत लिखत जो इस अधिनियम के प्रारम्भ के ठीक पूर्व उत्तर प्रदेश राज्य में प्रवृत्त है, ऐसे दिनांक से अन्तरित राज्यक्षेत्रों में इस प्रकार संशोधित रूप में प्रवृत्त होगा;

(ख) किसी हरियाणा विधि द्वारा यथा संशोधित ऐसा कोई केन्द्रीय अधिनियम, अध्यादेश, विनियम या अन्य परिनियत लिखत जो ऐसे दिनांक के ठीक पूर्व अन्तरित राज्य क्षेत्रों में प्रवृत्त है, ऐसे दिनांक से अन्तरित राज्यक्षेत्रों में उसी प्रकार प्रवृत्त होगा मानो किसी हरियाणा विधि द्वारा उसमें कोई संशोधन नहीं किया गया है।

वाद, अपील आदि का निस्तारण

4-(1) अन्तरित राज्यक्षेत्रों के सम्बन्ध में किसी न्यायालय या प्राधिकारी के समक्ष किसी हरियाणा विधि के अधीन लम्बित सभी वाद, अपील, आवेदन-पत्र या अन्य कार्यवाही इस अधिनियम के प्रारम्भ के दिनांक से, धारा 3 की उपधारा (1) और (2) में निर्दिष्ट राज्य विधियों के तद्नुरूप उपबन्धों के अधीन संस्थित या दाखिल किए गए वाद, अपील, आवेदन-पत्र या अन्य कार्यवाहियां समझी जायेंगी और तदनुसार निस्तारित की जायेंगी।

(2) किसी हरियाणा विधि के अधीन सभी वाद, अपील, आवेदन-पत्र या अन्य कार्यवाहियां जिन पर उपधारा (1) के उपबन्ध लागू नहीं होते, इस अधिनियम के प्रारम्भ के दिनांक से उपशमित हो जायेंगी।

विधि के लागू किये जाने को सुविधाजनक बनाने के प्रयोजनार्थ न्यायालय की शक्ति

5- इस प्रयोजन के लिए कि अन्तरित राज्यक्षेत्रों में धारा 3 की उपधारा (1) और (2) में उल्लिखित किसी राज्य विधि को लागू करना सुविधाजनक हो, कोई न्यायालय या अन्य प्राधिकारी तत्व को प्रभावित किये बिना उस विधि का अर्थ ऐसे परिवर्तन सहित कर सकता है जो न्यायालय या अन्य प्राधिकारी के समक्ष विषय से उसको अनुकूलित करने के लिये आवश्यक या उचित हो।

कठिनाइयों को दूर करने की शक्ति

6--(1) यदि धारा 3 की उपधारा (3) में उल्लिखित विधियों से उसकी उपधारा (1) और (2) में उल्लिखित विधियों के संक्रमण के सम्बन्ध में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है तो राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा ऐसे उपबन्ध बना सकती है जिन्हें वह ऐसी कठिनाई को दूर करने के लिए आवश्यक समझे :

परन्तु ऐसा कोई आदेश इस अधिनियम के प्रारम्भ के दिनांक से पांच वर्ष के पश्चात् नहीं दिया जायगा ।

(2) उपधारा (1) के अधीन दिये गये किसी आदेश को किसी दिनांक से जो उत्तर प्रदेश राज्य में अन्तरित राज्यक्षेत्रों के परिवर्धन के दिनांक से पूर्व का न हो, भूतलक्षी प्रभाव दिया जा सकता है ।

(3) उपधारा (1) या उपधारा (2) के अधीन किसी आदेश पर किसी न्यायालय में इस आधार पर आपत्ति नहीं की जायगी कि उपधारा (1) में निर्दिष्ट कठिनाई का अस्तित्व नहीं था या दूर करना अपेक्षित नहीं था ।

अनुसूची

[धारा 3 (1) देखिए]

क्रम-संख्या	उत्तर प्रदेश अधिनियम का संक्षिप्त नाम और धारा	उपान्तर की सीमा
1	2	3
	उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम, 1950 धारा 3	धारा 3 में— (1) खण्ड (8) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रख दिया जायगा, अर्थात्— "(8) 'आस्थान' का पूर्ववर्ती हरियाणा राज्यक्षेत्र के निर्देश में— तात्पर्य किसी ऐसे क्षेत्र से है— (क) जिसके लिए पंजाब लैण्ड रेवेन्यू ऐक्ट, 1887 के उपबन्धों के अधीन पृथक अधिकार अभिलेख तैयार किया गया हो ; या (ख) जिस पर पृथक रूप से मालगुजारी का निर्धारण किया गया हो या मालगुजारी का निर्धारण इस प्रकार किया जाता यदि पंजाब लैण्ड रेवेन्यू ऐक्ट, 1887 के उपबन्धों के अधीन मालगुजारी को निर्मुक्त, प्रशमित या मोचित न किया जाता ; या (ग) जिसे पंजाब लैण्ड रेवेन्यू ऐक्ट, 1887 की धारा 3 की उपधारा (1) के खंड (सी) के उपबन्धों के अधीन आस्थान घोषित किया गया हो ।" (2) खण्ड (12) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रख दिया जायगा, अर्थात्— "(12) 'मध्यवर्ती' का किसी आस्थान के प्रति निर्देश में तात्पर्य पंजाब टेनेन्सी ऐक्ट, 1887 की धारा 4 के खण्ड (6) और (7) में यथा परिभाषित 'लैण्डलार्ड' से है और इसके अन्तर्गत ऐसा काश्तकार भी है जो उस भूमि के संबंध में पंजाब टेनेन्सी ऐक्ट, 1887 के उपबन्धों में यथावर्णित दखीलकारी अधिकार रखता हो, जिसे उसने शिकमी पर उठाई हो ।"

1	2	3
		(3) खण्ड (26) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रख दिये जायेंगे, अर्थात्——
		"(26) 'पूर्ववर्ती हरियाणा राज्यक्षेत्र' का तात्पर्य हरियाणा और उत्तर प्रदेश (सीमा परिवर्तन) अधिनियम, 1979 द्वारा हरियाणा राज्य से उत्तर प्रदेश राज्य को अन्तरित क्षेत्रों से है ;
		(26-क) 'मौरूसी दर' का पूर्ववर्ती हरियाणा राज्य क्षेत्र में किसी भूमि के निर्देश में तात्पर्य पहिले के हरियाणा राज्यक्षेत्र से आसन्न उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों में प्रचलित उसी प्रकार की भूमि की लगान की दरों से है;
		(26-ख) '(मालगुजारी' का अध्याय तीन और पांच के प्रयोजनों के लिए तात्पर्य पंजाब लैंड रेवेन्यू ऐक्ट, 1887 के अधीन निर्धारित मालगुजारी से है;
		(26-ग) 'लगान' का तात्पर्य ऐसी किसी धनराशि से है जो किसी काश्तकार द्वारा भू-स्वामी को या किसी काश्तकार द्वारा अधिकार अभिलेख वाले किसी काश्तकार को भूमि के उपयोग या अध्यासन के लिए धन या जिन्स या सेवा में देय हो ;
		(26-घ) 'काश्तकार' का तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है जो किसी अन्य व्यक्ति के अधीन भूमि रखता है किन्तु किसी विशेष संविदा के कारण उस अन्य व्यक्ति को उस भूमि के लिए लगान का देनदार है या होगा ;
		(26-ङ) 'दखीलकारी अधिकार वाला काश्तकार' का तात्पर्य ऐसे काश्तकार से है जिसे पंजाब टेनेन्सी ऐक्ट, 1887 के अध्याय–दो के उपबन्धों के अधीन दखीलकारी अधिकार हो ;
		(26-च) 'शामिलात देह' का तात्पर्य हरियाणा में यथा प्रयोज्य पंजाब विलेज कामन लैण्ड्स (रेगुलेशन) ऐक्ट, 1961 की धारा 2 के खण्ड (जी) में विनिर्दिष्ट भूमि से है ;
		(26-छ) 'महाल' का तात्पर्य किसी ऐसे भू-स्वामी की जोत से है जिसे पंजाब लैण्ड रेवेन्यू ऐक्ट, 1887 के उपबन्धों के अधीन तैयार किये गए अधिकार अभिलेख में इस रूप में अभिलिखित किया गया हो , "
		(4) खण्ड (29) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रख दिया जायगा, अर्थात्——
		"(29) भाग एक में 'अधिकार अभिलेख' के किसी भी अभिदेश के अन्तर्गत पंजाब लैण्ड रेवेन्यू ऐक्ट, 1887 के उपबन्धों के अधीन तैयार किया गया जमाबन्दी भी है ; "
धारा 4		धारा 4 में, उपधारा (2) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा बढ़ा दी जायगी, अर्थात्——
		"(3) इस धारा के उपबन्ध 'शामिलात देह' पर भी उसी प्रकार लागू होंगे जिस प्रकार वे आस्थानों पर लागू होते हैं।"

1	2	3
	धारा 8	धारा 8 में, शब्द और अंक "8 अगस्त, 1946 ई0" के स्थान पर शब्द और अंक "पन्द्रह सितम्बर, 1983" रख दिये जायेंगे।
	धारा 14	धारा 14 में, उपधारा (2) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रख दी जायगी, अर्थात्—— "(2) जहां ऐसी कोई भूमि उत्तर प्रदेश विधि (हरियाणा से अन्तरित राज्य क्षेत्रों पर विस्तार) अधिनियम, 1989 के प्रारम्भ के दिनांक से ठीक पूर्ववर्ती दिनांक को बन्धकी की निजी जोत में रही हो, वहां धारा 18 के प्रयोजनों के लिए यह समझा जायगा कि वह भूमि बन्धकी के पास उपर्युक्त दिनांक को दखीलकारी अधिकार रखने वाले काश्तकार के रूप में थी।"
	धारा 18	धारा 18 के स्थान पर निम्नलिखित धारा रखदी जायगी, अर्थात्—— "18 मध्यवर्ती या संक्रमणीय अधिकार वाले भूमिधर के रूप में खेतिहरों के साथ कतिपय भूमि का बन्दोवस्त किया जाना—— ऐसी सब भूमि जो निहित होने के दिनांक के ठीक पूर्ववर्ती दिनांक को किसी व्यक्ति की निजी जोत में हो और—— (क) उसके द्वारा धृत हो या धृत समझी जाय और वह खुदकाश्त मालिक के रूप में मध्यवर्ती हो ; (ख) उसके द्वारा ऐसे काश्तकार के रूप में धृत हो जिसे पंजाब टेनेन्सी ऐक्ट, 1887 के उपबन्धों के अधीन दखीलकारी अधिकार हो ; (ग) उसके द्वारा शाश्वत धारण करने वाले काश्तकार के रूप में या पंजाब टेनेन्सी ऐक्ट, 1887 की धारा 35 में निर्दिष्ट नियत अवधि के लिए धृत हो ; (घ) उसके द्वारा काश्तकार के रूप में पंजाब टेनेन्सी ऐक्ट, 1887 की धारा 41 में निर्दिष्ट वर्षानुवर्ष धृत हो ; (ङ) उसके द्वारा गैर-मौरूसी काश्तकार के रूप में धृत हो ; (च) उसके द्वारा पंजाब टेनेन्सी ऐक्ट, 1889 की धारा 58 के अधीन दखीलकारी अधिकार रखने वाले काश्तकार के शिकमी काश्तकार के रूप में धृत हो ; (छ) उसके द्वारा पंजाब विलेज कामन लैण्ड्स (रेगुलेशन) ऐक्ट, 1961 की धारा 5 के तृतीय परन्तुक के अधीन शामिलात देह के प्रदेशनगृहीता के रूप में धृत हो ; (ज) उसके द्वारा पंजाब लैण्ड रिकार्ड्स मैनुअल के उपबन्धों के अधीन पूर्ववर्ती हरियाणा राज्यक्षेत्र में रखे गए भू-अभिलेखों में धौलीदार या भंडेदार के रूप में किसी नाम से अभिलिखित

1	2	3
		किसी अन्य वर्ग के काश्तकार के रूप में धृण हो;
		(झ) पंजाब लैण्ड रेवेन्यू ऐक्ट, 1887 के उपबन्धों के अधीन तैयार किये गये अधिकार अभिलेख में अध्यासी के रूप में किसी अन्य नाम में अभिलिखित हो और जहां कोई बेहतर काश्तकारी अधिकार न हो, वहां--
		राज्य सरकार द्वारा ऐसे व्यक्ति के साथ बन्दोबस्त की गयी समझी जायगी जो इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन रहते हुए संक्रमणीय अधिकार वाले भूमिधर के रूप में उसका कब्जा लेने या बनाये रखने का हकदार होगा।"
धारा 19, 20 और 21		धारा 19, 20 और 21 निकाल दी जायेगी।
धारा 22, 23 और 24		धारा 22, 23 और 24 में, जहां-जहां भी शब्द और अंक "1 जुलाई, 1948 ई0" आय हों, उनके स्थान पर शब्द और अंक "पन्द्रह सितम्बर, 1983" रख दिये जायेंगे।
धारा 32 और 33		धारा 32 और 33 में, जहां-जहां भी शब्द और अंक "यूनाइटेड प्राविन्सेज लैण्ड रेवेन्यू ऐक्ट, 1901" या "यूनाइटेड प्राविन्सेज लैण्ड रेवेन्यू ऐक्ट, 1901 ई0" आये हों, उनके स्थान पर शब्द और अंक "दि पंजाब लैण्ड रेवेन्यू ऐक्ट, 1887" रख दिये जायेंगे।
धारा 37		धारा 37 में स्पष्टीकरण को निकाल दिया जायगा।
धारा 39		धारा 39 में, उपधारा (1) में, खण्ड (क) में, उप-खण्ड (2) के स्थान पर निम्नलिखित उपखण्ड रख दिया जायेगा, अर्थात्--
		"(2) यदि लगान जिन्स में या अंशतः नकद में और अंशतः जिन्स में देय हों, तो लगान की गणना नियत रीति से की जा सकती है।"
धारा 44		धारा 44 में,--
		(1) खण्ड (ख) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रख दिया जायगा, अर्थात्--
		"(ख) ऐसी धनराशि जो मध्यवर्ती द्वारा पिछले कृषि वर्ष के लिये हरियाणा लैण्ड होल्डिंग्स टैक्स ऐक्ट, 1973 के अधीन उद्गृहीत और देय जोतकर, यदि कोई हो, के निमित्त हो;"
		(2) खण्ड (घ) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रख दिया जायगा, अर्थात्--
		"(घ) जहां कोई भूमि मध्यवर्ती के पास उसकी निजी जोत में हो, वहां भूमि के केवल ऐसे भाग के लिये जो उसकी निजी जोत में हो या खुदकाश्त के रूप में उसके पास हो, मौरूसी दरों पर संगणित धनराशि जिसमें से आगे उल्लिखित (1) से (3) कटौतियां निकाल दी जायेंगी :--
		(1) ऐसा जोतकर, यदि कोई हो, जो पिछले कृषि वर्ष में हरियाणा लैण्ड होल्डिंग्स टैक्स

1	2	3
		ऐक्ट, 1973 के उपबन्धों के अधीन उद्गृहीत और देय हो ; (2) मालगुजारी, अबवाब और स्थानिक कर जो पिछले कृषि वर्ष में उक्त भूमि के संबंध में देय रहा हो जिनका अभिनिश्चय नियत रीति से किया जायगा ; और (3) खण्ड (ग) में निर्दिष्ट विषयों के निमित्त उपर्युक्त धनराशि का पन्द्रह प्रतिशत ।"
	धारा 77	धारा 77 में (जिसमें उसका पार्श्व शीर्षक भी है) जहां-जहां भी शब्द और अंक "8 अगस्त, 1946 ई0" आये हों, उनके स्थान पर शब्द और अंक "पन्द्रह सितम्बर 1983" रख दिये जायेंगे ।
	धारा 103	धारा 103 निकाल दी जायेगी ।
	धारा 117	धारा 117 में, उपधारा (1) में, खण्ड (5) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रख दिया जायगा, अर्थात्— "(5) ऐसी भूमि पर जिन पर धारा 18 के उपबन्ध लागू होते हों या धारा 9 में अभिदिष्ट स्थलों और क्षेत्रों पर लगने वाले हाटों, बाजारों और मेलों से भिन्न हाट, बाजार और मेला ; "
	धारा 117-क	धारा 117-क में, उपधारा (1) मे, खण्ड (क) और (ख) में, जहां-जहां भी शब्द "7 जुलाई, 1949" आये हों, उनके स्थान पर शब्द "उत्तर प्रदेश विधि (हरियाणा से अन्तरित राज्य क्षेत्रों पर विस्तार) अधिनियम, 1989 के प्रारम्भ के दिनांक" रख दिये जायेंगे ।
	धारा 130	धारा 130 में, खण्ड (क) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रख दिया जायगा, अर्थात्— "(क) ऐसा प्रत्येक व्यक्ति जो धारा 18 के उपबन्धों के अधीन भूमिधर हो गया हो ; "
2 उत्तर प्रदेश अधिकतम जोत सीमा आरोपण अधिनियम, 1960	धारा 4-क	धारा 4-क, जहां-जहां शब्द और अंक "वर्ष 1378 फसली, 1379 फसली और 1380 फसली" आये हों, उनके स्थान पर शब्द "ऐसे वर्ष जिन्हें राज्य सरकार इस निमित्त अधिसूचित करे" रख दिये जायेंगे ।

आज्ञा से,
नरेन्द्र कुमार नारंग,
सचिव ।

No. 2649 (2)/XVII-V—1-1-(Ka)42-1989

Dated, Lucknow, August 14, 1992

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Uttar Pradesh Vidhi (Hariyana Se Antarit Rajyakshetron Par Vistar) Adhiniyam, 1989 (Uttar Pradesh Adhiniyam Sankhya 18 of 1992) as passed by the Uttar Pradesh Legislature and assented to by the President on August 10, 1992.

THE UTTAR PRADESH LAWS (EXTENSION TO TERRITORIES TRANSFERRED FROM HARYANA) ACT, 1989

(U. P. ACT NO. 18 OF 1992)

[*As passed by the U. P. Legislature*]

AN

ACT

to extend laws in force in Uttar Pradesh to the territories transferred from Haryana by or under the Haryana and Uttar Pradesh (Alteration of Boundaries) Act, 1979.

IT IS HEREBY enacted in the Fortieth Year of the Republic of India as follows :—

Short title and commencement

1. (1) This Act may be called the Uttar Pradesh Laws (Extension to Territories Transferred from Haryana) Act, 1989.

(2) It shall come into force on such date as the State Government may, by notification, appoint in this behalf.

Definitions

2. In this Act—

(*a*) 'Haryana Laws' means so much of any Haryana Act, Ordinance, Regulation or statutory instruments as relates to any of the matters enumerated in lists II and III in the Seventh Schedule to the Constitution and includes any Punjab Act, Ordinance Regulation or statutory instrument, in force in the transferred territories immediately prior to the commencement of this Act ;

(*b*) 'State Law' means so much of any Uttar Pradesh Act, Ordinance, Regulation or other statutory instrument as relates to any of the matters enumerated in lists II and III in the Seventh Schedule to the Constitution ;

(*c*) 'transferred territories' means the territories transferred from the State of Haryana and added to Uttar Pradesh by the Haryana and Uttar Pradesh (Alteration of Boundaries) Act, 1979.

Assimilation of State Laws

3. (1) The State laws specified in the second column of the Schedule shall, as from the date of commencement of this Act extend to the transferred territories subject to the modifications specified in the third column thereof and all appointments, orders or statutory instruments made or issued thereunder shall, so far as they are not inconsistant with the said modifications, extend, *mutatis mutandis* to the transferred territories and shall, in such, modified form continue in force until repealed or amended by the competent Legislature or other competent authority.

(2) All other State Laws which immediately before the date of commencement of this Act, extend to, or are in force in the State of Uttar Pradesh but do not extend to, or are not in force in, the transferred territories shall, as from such date, extend to or, as the case may be, come into force in, the transferred territories and continue in force therein until repealed or amended by the competent Legislature or other competent authority.

(3) All Haryana Laws which immediately before the date of commencement of this Act, are in force in the whole or any part of the transferred territories shall, with effect from such date, stand repealed in respect of their operation in such territories and the provisions of sections 6 and 24 of the Uttar Pradesh General Clauses Act, 1904 shall apply as if those laws were repealed and re-enacted by the corresponding laws extended to, or brought into force in the transferred territories by virtue of sub-sections (1) and (2).

(4) For the removal of doubts it is hereby declared that,

(*a*) any Central Act, Ordinance, regulation or other statutory instrument which, immediately before the date of commencement of this Act, is inforce in the State of Uttar Pradesh as amended by any State Law, shall, as from such date be in force in the transferred territories as so amended ;

(*b*) any Central Act, Ordinance, Regulation or other statutory instrument in force in the transferred territories immediately before such date as amended by any Haryana Law shall, as from such date be in force in the transferred territories as if no amendments were made therein by any Haryana Law.

Disposal of suits, appeals etc.

4. (1) All suits, appeals, applications or other proceedings under any Haryana Law pending before any court or authority in respect of the transferred territories shall, with effect from the date of commencement of this Act, be deemed to be suits, appeals applications, or other proceedings instituted or filed under the corresponding provisions of the State Laws referred to in sub-sections (1) and (2) of section 3 and shall be disposed of accordingly.

(2) All suits, appeals, applications or other proceedings under any Haryana Laws to which the provisions of sub-section (1) do not apply shall abate with effect from the date of commencement of this Act.

Power of Courts for purposes of facilitating application of law.

5. For the purposes of facilitating the application of any State Law mentioned in sub-sections(1) and(2) of section 3 to the transferred territories, any court or other autho ity may construe such law with such alterations, not affecting the substance, as may be necessary or proper to adopt it to the matter before the court or other authority.

Power to remove difficulties.

6. (1) If any difficulty arises in relation to the transition from the laws mentioned in sub-section (3) of section 3 to the laws mentioned in sub-sectons (1) and (2) thereof, the State Government may, by notification make such provisions as it considers necessary for the removal of such difficulty :

Provided that no such order shall be made after five years from the date of commencement of this Act;

(2) Any order made under sub-section (1) may be given retrospective effect from any date not earlier than the date of addition of the transferred territories to the State of Uttar Pradesh.

(3) No order under sub-section (1) or sub-section (2) shall be called in question in any court on the ground that no difficulty as is referred to in sub-section (1) existed or was required to be removed.

THE SCHEDULE

[*See* Section 3 (1)]

Serial no.	Short title and section of the Uttar Pradesh Act		Extent of Modification
1	2		3
1	The Uttar Pradesh Zamindari Abolition and Land Reforms Act, 1950	Section 3	In section 3,— (1) for clause (8), the following clause shall be *substituted*, namely— "(8) 'Estate' with reference to erstwhile Haryana Territory means any area— (*a*) for which a separate record of rights has been made under the provisions of the Punjab Land Revenue Act, 1887, or (*b*) which has been separately assessed to land revenue or would have been so assessd if the land revenue had not been released, compounded for or redeemed under the provisions of the Punjab land Revenue Act, 1887, or (*c*) which may have been declared to be an estate under the provisions of clause (*c*) of sub-section (1) of section 3 of the Punjab Land Revenue Act, 1887.

1	2	3
		(2) for clause(12), the following clause shall be *substituted*, namely— "(12), 'Intermediary' with reference to an estate means a 'land lord' as defined in clauses (6) and (7) of section 4 of the Punjab Tenancy Act, 1887 and includes a tenant with right of occupancy as described under the provisions of the Punjab Tenancy Act, 1987 in respect of land sublet by him. (3) *for* clause (26), the following clauses shall be *substituted*, namely :— " (26) 'Erstwhile Haryana territoty':means the areas transferred from the State of Haryana to the State of Uttar Pradesh by the Haryana and Uttar Pradesh (Alteration of Boundaries) Act, 1979 ; (26-A) 'hereditary rates' with reference to any land in the erstwhile Haryana territory means rent rates of similar land prevalent in the areas of Uttar Pradesh contiguous to the erstwhile Haryana territory ; (26-B) 'Land revenue' forthe purposes of chapters III and V means the land revenue assessed under the Punjab Land Revenue Act, 1887 : (26-C) 'rent' means whatever is payable in money or kind or service to a landlord by a tenant or to a tenant with right of occupancy by a sub-tenant on account the use or occupation of land ; (26-D) 'tenant' means a person who holds land under another person,and is, or but for a special contact would be, liable to pay rent for that land to that other person : (26-E) 'tenant with right of occupancy' means a tenant having right of occupancy under the provisions of chapter II of the Punjab Tenancy Act, 1887 ; (26-F) 'Shamilat deh' means the land specified in clause (*g*) of section 2 of the Punjab Village Common Lands (Regulation) Act, 1961 as applicable to Haryana ; (26-G) 'mahal' means the holding of a land lord recorded as such in the record of rights prepared under the provisions of the Punjab Land Revenue Act, 1887. " (4) *for* clause (29), the following clause shall be *substituted*, namely— "(29) any reference to 'record of rights in part-I shall include the jamabandi prepared under the provisions of the Punjab Land Revenue Act, 1887, "
Section 4		In section 4, *after* sub-section (2), the following sub-section shall be *inserted*, namely— "(3) The provisions of this section shall apply to 'shamilat deh' also as they apply to estates".
Section 8		In section 8, *for* the words and figures "the eighth day of August 1946" the words and figure "fifteenth day of September, 1983" shall be *substituted*.

1	2	3
	Section 14	In section 14, *for* sub-section (2) the following sub-section shall be *substituted*, namely—. "(2) Where any such land was in the personal cultivation of the mortgagee on the date immediately preceding the date of commencement of the Uttar Pradesh Laws (Extension to the territories transferred from Haryana)Act, 1989, the mortgagee shall be deemed, for purposes of section 18 to have held such land on the date aforesaid as a tenant with right of occupancy."
	Section 18	*For* section 18, the following section shall be *substituted*, namely— "18. *Settlement of certain lands with intermediaries or cultivators as Bhumidhars with transferable rights*— All lands in personal cultivation of and— (*a*) held or deemed to be held by any person who is an intermediary as Khudkasht malik, (*b*) held by any person as a tenant having right of occupancy under the povision of the Punjab Tenancy Act, 1887; (*c*) held by a person as a tenant holding in perpetuity or for a fixed term referred in section 35 of the Punjab Tenancy Act, 1887; (*d*) held by a person as tenant from year to year referred to in section 41 of the Punjab Tenancy Act, 1887; (*e*) held by a person as tenant at will (ghair marusi); (*f*) held by a person as sub-tenant of a tenant having right of occupancy under section 58 of the Punjab Tenancy Act, 1887 : (*g*) held by a person as an allotee of shamilat deh under the third proviso to section 5 of the Punjab Village Common Lands (Regulation) Act, 1961; (*h*) held by a person as any other class of tenant recorded by any name such as Dhaulidar, or bhandedar in the land records maintained in erstwhile Haryana territory under the provisions of the Punjab Land Records Manual; (*i*) recorded in the name of any person as occupant in the record of rights prepared under the provisions of the Punjab Land Revenue Act, 1887, and where no superior tenancy rights exist, on the date immediately preceding the date of vesting, shall be deemed to be settled by the State Government with such person, who shall subject to the provisions of *this Act*, be entitled to take or retain prossession as a bhumidhar with transferable rights threreof."
	Sections 19, 20and 21	Sections 19, 20 and 21 shall be *omitted*.
	Sections 22, 23 and 24	In section 22, 23 and 24, *for* words and figures the "first day of July 1948", wherever they occur.

1	2	3
		the words and figures 'fifteenth day of September, 1983" shall be *substituted*.
	Sections 32 and 33	In sections 32 and 33, *for* the words and figures "the United Provinces Land Revenue Act, 1901," wherever they occur, the words and figures "the Punjab Land Revenue Act, 1887" shall be *substituted*.
	Section 37	In section 37, the explanation shall be *ommitted*.
	Section 39	In section 39 in sub-section (1), in clause (*a*), *for* sub-clause (ii), the following sub-clause shall be *substituted*, namely— "(ii) where rent is payable in kind, or partly in cash and partly in kind, the rent may be computed in the manner prescribed."
	Section 44	In section 44— (1) *for* clause (*b*), the following clause shall be *substituted*, namely— "(*b*) the amount on account of land holding tax, if any, levied and payable under the Haryana Land Holdings Tax Act, 1973 for the previous agricultural year, by the intermediary." (2) *for* clause (*d*), the following clause shall be *substituted*, namely— "(*d*) Where the intermediary holds any land in his personal cultivation, an amount computed at hereditary rates, less the deductions (i) to (iii), hereinafter mentioned, for such porions only of the land which is in his personal cultivation or is held as khud kasht— (i) the land holding tax, if any, levied and payable therefor under the provisons of the Haryana land Holdings Tax Act, 1973 in the previous agricultural year, (ii) the land revenue cesses and local rates payable therefor in the previous agricultural year, to be ascertained in the prescribed manner, and (iii) fifteen percentum of such amount on account of matters referred to in clause (*c*)".
	Section 77	In section 77 (including the marginal Reading thereof), *for* the words and figures 'the eighth day of August, 1946', wherever they occur, the words and figures 'the fifteenth day of September, 1983' shall be *substituted*.
	Section 103	Section 103 shall be *ommitted*.
	Section 117	In section 117, in sub-section (1), *for* clause (v), the following clause shall be *substituted*, namely— "(*v*) hats, bazars and melas except hats, bazars and melas held on land to which the provision of section 18 apply or sites and areas referred to in section 9."

1	2	3
	Section 117-A	In section 117-A, in sub-section (1), in clauses (*a*) and (*b*) *for* the words and figures 'the 7th day of July, 1949', wherever they occur, the words 'the date of commencement of the Uttar Pradesh Laws (Extension to Territories Transferred from Haryana) Act, 1989' shall be *substituted*.
	Section 130	In section 130, *for* clause (*a*), the following clause shall be *substituted*, namely— "(*a*) every person who has become bhumidhar under the provisions of section 18".
2 The Uttar Pradesh Imposition of Ceiling on Land Holdings Act, 1960	Section 4-A	In section 4-A, *for* the words and figures "the years 1378 Fasli, 1379 Fasli and 1380 Fasli," wherever they occur, the words "such years as the State Government may notify in this behalf" shall be *substituted*.

पी०एस०यू०पी०—ए०पी० 110 सा० (विधा०)—(1304)—1992—850 (मैक०)